

शीघ्र होगा प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन: धामी

वाला है, वह इस आयोजन को भव्य रूप से मनाने की योजना बना रहे थे परंतु, बीते दिनों अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत और 27 यात्रियों के घायल होने के कारण कार्यक्रम को सीमित किया गया है, उन्होंने कहा कि विदेशों में उत्तराखण्ड के लोग वहां के आर्थिक विकास में जुटे हुए हैं, यहां तक कि उच्च पदों पर भी विराजमान हैं। लेकिन उन्होंने उत्तराखण्ड की संस्कृति को नहीं छोड़ा और विशिष्ट पहचान बनायी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के प्रवासी लोग हमेशा एक दूसरों (शेष पृष्ठ सात पर)

कहा इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है जो बाढ़ और जलवायु और पर्यावरणीय में हो रहे परिवर्तन के कारण भूस्खलन जैसे जोखिमों से निपटने में सक्षम हो और उत्तराखंड की आबादी की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुनिश्चित हो सके। यह परियोजना प्रबंधन, जलवायु और आपदा-रोधी योजना, अपने स्रोत से राजस्व सृजन और लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिए राज्य एजेंसियों में क्षमता निर्माण भी करेगी। उत्तराखण्ड के आर्थिक केंद्र हल्द्वानी में यह परियोजना परिवहन, शहरी गतिशीलता, (शेष पृष्ठ सात पर)



कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस पर शत प्रतिशत फरियादियों की समस्याओं को अधिकारी प्राथमिकता (शेष पृष्ठ सात पर)

किया जा सकता। इस प्रक्रम पर हम अपने प्रबुद्ध पाठकों को बताना चाहेंगे कि उत्तरांचल दर्पण ने अपने 15 अक्टूबर के अंक में, मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद सड़क के गड्ढे भरने में हो रही कोताही से संबंधित एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें जल संस्थान ऑफिस के सामने मौजूद उपरोक्त गड्ढे एवं टूटी सप्लाई लाइन का सचित्र उल्लेख किया गया था। खबर प्रकाशन के बाद गड्ढे में ईट एवं पत्थर डालकर गड्ढे को पाटने का अधूरा प्रयास तो किया गया, लेकिन टूटी हुई पाइप लाइन दुरुस्त नहीं की गई। जिसके चलते उपरोक्त स्थान पर सुबह एवं शाम की पेयजल सप्लाई के समथ हज़ारों लीटर पानी रोजाना बदस्तूर बर्बाद हो रहा है और सड़क को भी लगातार नुकसान हो रहा है। सप्लाई (शेष पृष्ठ सात पर)



इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, जहाँ विश्वास है विश्वास का साथ।
हर ख्वाब को साकार करें, गुरु माँ के साथ

23% कैश बैक

1 आप फायनांस कराएं
किस्त हम देंगे



आज का आज !
 सबसे तेज डिलीवरी एवं इंस्टॉलेशन

अब LED TV

मात्र ₹990

की मासिक किस्त में घर लायें

0 ब्याजमुक्त फाइनेंस पर

मनपसंद उत्पाद घर ले जाएं शेष राशि आसान
 ब्याज मुक्त मासिक किस्तों पर सुरक्षा



50% तक की छूट

उत्पादों पर
 अतिरिक्त वारंटी
 @290/- से

**पुराना लाएं
 नया ले जाएं**
 पुराने की अच्छी कीमत पर

— सभी प्रतिष्ठित ब्रांड एक ही छत के नीचे उपलब्ध —



जैसे आपकी ख्वाहिशें, वैसी हमारी सेवाएं, सपनों को साकार करें

GURU MAA ELECTRONICS

-रुद्रपुर-

काशीपुर बाईपास (9690282777, 9756233166)
 सिविल लाईन्स (9927882338), सोनी सेन्टर (9917170230)

-काशीपुर-

रामनगर रोड (8791989500)
 चीमा चौराहा (9927813555)

RUDRAPUR | HALDWANI | KASHIPUR | GADARPUR | MORADABAD | KICHHA | PITHORAGARH | LALKUAN | HARIDWAR

विष्णेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय ।
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥

हमारे यहां कुंडली बनाने व दिखवाने एवं वैदिक
ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती पाठ
महामृत्युंजय जप, ग्रह शांति, शतचंडी
यज्ञ एवं समस्त यज्ञ जप इत्यादि
समस्याओं का समाधान
के लिये संपर्क करें :

आचार्य गोपाल शास्त्री जी : 7248133444

हेला द्वारा काठगोदाम-हेड़ाखाल-ओखल कांडा मार्ग पर चैकिंग अभियान चलाया। दोनों टीमों दो दिन चलाये गये अभियान में कुल 67 चालान, 12 जन्ती, 22 ओवरलोडिंग, ऑटो

उत्तरांचल दर्पण

सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

मदरसे अवैध नहीं

सर्वोच्च अदालत ने संविधान की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए उपर के मद्दर्सों को 'संवैधानिक' करार दिया है। इस संदर्भ में उपर मद्रसा शिक्षा अधिनियम, 2004 और उससे जुड़ा बोर्ड भी 'अवैध' नहीं है। यह कानून मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान बनाया गया था। यह न्यायिक फैसला अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ-साथ समता के मौलिक अधिकार और शिक्षा के अधिकार की व्याख्याएं भी करता है। सर्वोच्च न्यायिक पीठ का मानना है कि यह संविधान के मूल ढांचे और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। दरअसल यह फैसला ऐसे देश में मौलिक और महत्वपूर्ण है, जहां अत्यधिक शैक्षिक संस्थान धार्मिक संस्थाओं संगठनों से संबद्ध हैं। यह अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक समुदाय का सवाल नहीं है। यह शिक्षा के बुनियादी दायित्वों और सरोकारों से जुड़ा मामला है। तो फिर मद्दर्सों पर आपत्ति जताते हुए, उनसे संबद्ध कानून को, 'असंवैधानिक' कैसे करार दिया जा सकता है? न्यायिक पीठ ने आकलन करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है—चूंकि शिक्षण संस्थान या मद्रसा किसी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा है और उसकी मजहबी शिक्षाओं को भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसके मायने ये नहीं हैं कि वह संस्थान 'शिक्षा' की परिधि से बाहर कर दिया जाए। संविधान में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। उसी के तहत मद्रसे लगातार खुलते रहे हैं। दरअसल मद्दर्सों को 'आतंकवाद के अड्डे' और 'इस्लाम के प्रचारक संस्थान' करार दिया जाता रहा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च अदालत का फैसला है कि राज्य सरकार मद्दर्सों के पाठ्यक्रम को नियमित और संशोधित कर सकती है। कुरान के साथ-साथ गणित और विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मद्रसे 'कामिल' और 'फाजिल' (स्नातक, स्नातकोत्तर) की जो डिग्रियां बांटते रहे हैं, वे 'अवैध' हैं, क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम के खिलाफ है। आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही ऐसी डिग्रियां देने को अधिकृत हैं। सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला खारिज किया है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अधिनियम को 'असंवैधानिक' माना था और उपर के सभी मद्दर्सों को बंद करने का आदेश दिया था। इस सर्वोच्च फैसले से मद्दर्सों में पढ़ने वाले 12,34,388 छात्रों का शैक्षिक भविष्य सुरक्षित रह सकेगा और 13,364 मद्दर्सों के अस्तित्व कायम रह सकेंगे। मद्दर्सों में हजारों शिक्षक भी पढ़ाते हैं, लिहाजा वे एकदम बेरोजगार होने से बचेंगे। मद्दर्सों की जमात अलग-अलग है। कोई मद्रसा राज्य सरकार से वित्तीय अनुदान प्राप्त करता है, तो कोई ऐसी मदद को 'इस्लाम-विरोधी' मानते हुए नहीं लेते और अपने संसाधनों के बूते ही मद्रसे चलाते हैं। फिलहाल उपर के मद्रसा कानून पर सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया है। इसी के आधार पर देशभर के मद्रसा बोर्ड और उनके प्रबंधक शीर्ष अदालत तक दस्तक दे सकते हैं। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी महत्वपूर्ण है—संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए कानून को चुनौती भी दी जाती है, तो यह दिखावा जरूरी होगा कि कानून धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यह भी न्यायिक टिप्पणी की गई है कि किसी कानून को तभी रद्द कर सकते हैं, जब वह संविधान के भाग-3 के तहत मौलिक अधिकारों अथवा विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू करने के निर्देश

नैनीताल (उद संवाददाता)। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में बुधवार नैनीताल कार्यालय सभागार में आगामी नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 की तैयारियों के संबंध में सभी नोडल अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्वाचन की गाइड लाइन तहत टीम के साथ तैयारी शुरू करने के निर्देश दिये। जिससे निर्वाचन के दौरान कार्मिकों किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग के नोडल अधिकारी को निर्वाचन की जानकारी और प्रशिक्षण संबंधी तैयारी करने को कहा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को सर्वेदनशील इलाकों-मतगणना स्थलों, बूथों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही आरटीओ को चुनाव के समय वाहनों की व्यवस्था कराने की बात



कही। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुधों, मतगणना स्थलों में बेरिकेट की व्यवस्था करने को कहा। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग को निर्वाचन से पहले दिव्यांग जनों की मतदाता सूची तैयार- चिन्हकरण करने और व्हील चौयर आदि व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान कार्मिकों खान पान की व्यवस्था के लिए

रुद्रपुर में विराट कवि
सम्मेलन कल, तैयारियां पूर्ण

रूद्रपुर। देश के अमर शहीदों एवं महापुरुषों की स्मृति में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय चेतना मंच के तत्त्वाधान में कल 8 नवम्बर को जनता इंटर कालेज परिसर में विराट कवि सम्मेलन के आयोजन की तैयारियां पूर्ण हो गयी हैं। राष्ट्रीय एकता मंच के अध्यक्ष संजय टुकराल ने बताया कि रात्रि 8 बजे से प्रारम्भ होने वाले इस कवि सम्मेलन में हास्य कवि दिल्ली के सुरेन्द्र शर्मा, गजेन्द्र सोलंकी, हरियाणा के अरूण जैमिनी, लखनऊ से कविता तिवारी, नैनीताल से गौरी मिश्रा, जबलपुर से सुदीप भोला व देवास मध्य प्रदेश से शशिकांत यादव पधार रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन की व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में नगर निगम प्रशासन को आयोजन स्थल के आस पास सफाई, विद्युत, कीटनाशक दवा छिड़काव कराने वहीं विद्युत विभाग से 8 नवम्बर को सायं 5 बजे से कार्यक्रम समापन तक विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाये रखने का आग्रह किया गया है। उन्होंने आम जनता से कवि सम्मेलन में पधारने की अपील की है।

मोबाइल से बिगड़ता बचपन



एक समय था जब खाली जगह या आंगन में बच्चे आसानी से खेलते मिल जाती थे। [सर्दी हो या गर्मी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। बच्चों का सायां को जल्दी खेलने चले जाना उधर देर से आना घरवालों के लिए आम समस्या थी बदलते समय के साथ साथ बच्चों की खेलों के प्रति रुचि बदलती गई। आज बदलते हुए समय के साथ सभी बच्चों का ध्यान वीडियो गेम की ओर आकर्षित होना माता पिता के लिए चिंता का विषय बन गया है। दादी और दादाजी कहते थे कि बच्चों का ठंडा या गर्म पत्थर पर होता है। लेकिन आजकल न तो घर में दादाजी हैं नहीं दादाजी बच्चों को प्यार के बदले मोबाइल का प्रयोग मनोरंजन के लिए करने लगे हैं। आजकल पबजी और फ्री फायर गेम का अधिक ट्रेन हो गया है। बच्चे को शांत करने के लिए आजकल माताएं बचपन में 2 साल के बच्चे को ही मोबाइल हाथ में थमा देती हैं। लेकिन वह अपने मनोरंजन को

ध्यान में रखती हैं पर बच्चों पर होने वाले प्रभाव का उनके अभिभावक ध्यान नहीं रखते। बच्चों को कई हद तक इस प्रकार से उसका आदि बनाना माता-पिता का भी बहुत हाथ है। बच्चे इन गमों में अपना अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है यह एक हिंसात्मक गेम है। जिससे बच्चे भी हिंसक हो रहे हैं। जिससे उनमें हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही हैं। इस गेम में ध्यान एकाग्र करना पड़ता है जिसे खेलने वाले बच्चों को इस गेम की लत लग जाती है।

बहुत देर तक लगातार मोबाइल गेम खेलने से हमारी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मोबाइल गेम खेलने से बच्चे वास्तविक दुनिया को छोड़कर काल्पनिक दुनिया में ज्यादा लीन हो रहे हैं। आज बच्चे समाज में बैठकर ना तो माताजी पिताजी की याद आती है नहीं। किसी दूसरे छोटे बच्चों की याद को उनके साथ खेलने वाले हैं। अगर मोबाइल हाथ में हो तो बच्चा भोजन करना भी भूल जाता है। बच्चे हर हाल में अपने मोबाइल की शौक को पूरा करने

के लिए कुछ भी करने के लिए वह तैयार रहते हैं। अबच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। यदि वह इस तरह के गेम के चक्कर में पड़कर स्वयं को बर्बाद कर लेंगे तो क्या होगा इस देश का। क्या होगा इस समाज का। मोबाइल का आविष्कार दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब से हाथ लगा इंसान के इंसान हो गया बेकार बेरोजगारी छुपाने में सहायक है यह यंत्र। मनोरंजन के छिपे हुए इसमें देरों मंत्र। छोटे से बड़ा इसमें ले रहा है मजा। ज्यादा मजा लेने से मिल रही है सजा। मिल रही है सजा होकर जिंदगी की परीक्षा में फेल। आखें मोबाइल में टिका हो रही है जेल। हो रही है जेल बंद हुई खुली उड़न। अब मोबाइलमें हंसता मोबाइल से रोता इंसान। इसलिए मोबाइल का उपयोग कम से कम कर और बच्चों को उसे हमेशा दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

-गौरी दत्त जुकरिया,प्रधानाचार्य
परमानंद कांडपाल सरस्वती
शिशु मंदिर नानकमत्ता साहिब

लोकतंत्र की हुई जीत: मौलाना रिजवी



रूद्रपुर (उद संवाददाता)। उत्तराखण्ड मद्रसा शिक्षा परिषद व हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रसा बोर्ड को बहाल कर देश के संविधान और लोकतंत्र के हित में फैसला दिया है। इस फैसले से लोकतंत्र की जीत हुई है और सांप्रदायिकता फैलाने वालों को शिकस्त मिली है। मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने प्रेस को जारी अपने बयान में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मद्रसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को भी

खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मद्रसों का अधिनियम को रद्द किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस कानून के तहत मद्रसों को रेगुलेट करना सरकार का अधिकार माना है। मद्रसा एकट यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त मद्रसों में पढ़ने वाले छात्र अच्छी योग्यता प्राप्त कर सकें। सुप्रीम

कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट से संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। न ही ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का किसी भी तरह से उल्लंघन करता है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस एक्ट को ठीक से समझे बिना ही रद्द कर दिया। मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एक्ट सैवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को सैवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे चलते रहेंगे। साथ ही उत्तराखण्ड उलेमा कौंसिल ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है।

बाली ने जताया प्रशासन का आभार

काशीपुर(उद संवाददाता)।भाजपा नेता दीपक बाली ने नगर निगम द्वारा लिए जा रहे हाउस टैक्स के जमा करने की समय सीमा कोआगे बढ़ाने और ली जा रही पेनल्टी समाप्त करने पर निगम प्रशासक /जिलाधिकारी तथा नगर निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया।प्रेस को जारी विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि दीपावली



की थी जिस पर उन्होंने नगर निगम प्रशासक से जनहित में अनुरोध किया था की हाउसिंग दी जाए और जो पेनल्टी ली जा रही है उसे प्रशासक एवं मुख्य नगर आयुक्त ने जनहित पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अब हाउसिंग दी है साथ ही जिन लोगों से 4 नवंबर व 15 नवंबर को उनके गृह कर खाते में एडवांस रूप से जमा कर जमा करते समय उस समय जमा होने

कैंची धाम के पास अब नहीं बनेगी सुरंग



भवाली (उद संवाददाता)। कैंची धाम के पास सुरंग बनाने की योजना पर ब्रेक लग गया है। जहां पर सुरंग बननी है वहां पर चट्टानों के कमजोर होने समेत अन्य कारणों के चलते योजना पर आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अब कैंची के पास ही हरतपा इलाके से होकर या रही सड़क को ही विस्तार देकर अन्य विकल्प को देखा जा रहा है। भवाली स्थित कैंची धाम में दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही मंदिर के पास गुजरने वाले

भवाली-अल्मोड़ा मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ा है। ऐसे में मंदिर से पहले एक सुरंग के जरिये समानांतर एक और मार्ग का विकल्प बनाने का फैसला किया गया, जो कि आगे भवाली-अल्मोड़ा मार्ग पर मिलता। ऐसे में जिसे सीधे जाना होता तो वह सुरंग से निकल जाता, पर इस संभावना को झटका लगा है। एनएच के

अधिकारियों के अनुसार जहां पर टनल बनाने की योजना है, वहां के पहाड़ों को कमजोर हैं। इसके अलावा टनल का दूसरा सिरा भवाली-अल्मोड़ा मार्ग पर खुल रहा है, वह भी जाम के इलाके में आता है। ऐसे में योजना को फिलहाल आगे प्रगति होने की संभावना कम है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

राज्यमंत्री अजय टप्पा ने बताया कि टनल बनाना संभव नहीं हो रहा है। अन्य विकल्प को देखा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता दयानंद कहते हैं कि जहां पर टनल बनना है, वहां के पहाड़ काफी फरजाइल हैं। ऐसे में टनल बनाना मुश्किल है। वहीं, केंची के पास हरतपा इलाके में पांच किमी की सड़क बन रही है। इस सड़क को सात किमी और आगे विस्तारित कर दिया जाए तो यह अल्मोड़ा-भवाली मार्ग पर रातीघाट के पास मिल जाएगा। लोनिवि इस संभावना को लेकर काम कर रहा है। ऐसे में मार्ग का एक विकल्प मिल सकता है। लोनिवि नदी की दूसरीतरफ से भी एक अन्य वैकल्पिक मार्ग का काम कर रहा है।

